

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या-676 / 2016 / अलवर
2. अपील संख्या-677 / 2016 / अलवर
3. अपील संख्या-678 / 2016 / अलवर
4. अपील संख्या-679 / 2016 / अलवर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, अलवर.

बनाम

मैसर्स निर्वाणा हॉस्पिटलिटी प्रा.लि. (होटल निरवाणा),
प्रतापबास, अलवर.

.....अपीलार्थी

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ कैम्प जयपुर
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित :

श्री शीतांशु शर्मा, उप राजकीय अभिभाषक
श्री एस.के.जैन, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 14.09.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी-राजस्व द्वारा उपरोक्त चारों अपीलों अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित संयुक्त आदेश दिनांक 30.11.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, अलवर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 55 एवं 61 अन्तर्गत पारित पृथक-पृथक आदेशों के जरिये कायम की गयी मांग राशियों को आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरणों को प्रतिप्रेषित किया गया है।
2. उपरोक्त चारों अपीलों में विवादित बिन्दु समान होने एवं एक ही व्यवहारी से संबंधित होने के कारण इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है, निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।
3. प्रकरणों के तथ्य इस प्रकार है सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-प्रथम, प्रतिकरापवंचन, अलवर (जिसे आगे "जांच अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा व्यवहारी फर्म के होटल/व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 17.07.2014 को सर्वेक्षण किया गया। जांच अधिकारी ने वक्त जांच पाया कि व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों के दौरान होटल में की गई Food sales and Bar sales के इन्वॉइयसेज में कर योग्य माल की बिक्री पर ग्राहकों से जो सर्विस टैक्स वसूल किया है उसे विक्रय में सम्मिलित नहीं किया है, जिसे जांच अधिकारी ने व्यवहारी की करापवंचन मानते हुए अभियोग बनाकर पत्रावली कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित कर दी। कर निर्धारण अधिकारी ने पत्रावली कर अवलोकन कर पाया कि व्यवहारी द्वारा कर चोरी की मंशा से सर्विस टैक्स को विक्रय में सम्मिलित नहीं किया है। व्यवसायी ने वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 (Upto 30.06.2014) तक की बिक्रीयों पर बिल में वसूल की गई सेवा कर की राशि जो कि Statutory Levy होने के कारण अधिनियम की धारा 2(36) के प्रावधानों के अनुसार यह विक्रय मूल्य का भाग होने के कारण इस पर कर देयता बनती है परन्तु होटल व्यवसायी ने

निरन्तर.....2

सेवा कर (Service tax) की राशि पर वैट वसूल नहीं किया है। अतः इसे कर निर्धारण अधिकारी ने लिखित बहस से असंतुष्ट होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी पर तालिकानुसार मांग राशियों का आरोपण कर दिया। व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी ने देय वैट का अपवंचन मानते हुए धारा 25, 55 एवं 61 के तहत आदेश पारित कर विवादित मांग राशि सृजित की है। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसकी पालना में व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर लिखित बहस प्रस्तुत की। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उन्होंने अपने संयुक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2015 द्वारा व्यवहारी की अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कर व ब्याज के बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए शास्ति को अपारत किया गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त संयुक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा ये चारों अपीलें कर बोर्ड के समक्ष अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये हैं।

क्र. सं.	अपील संख्या	कर निर्धारण आदेश		अपीलीय आदेश की अपील संख्या	विवादित		
		दिनांक	वर्ष		कर	ब्याज	शास्ति
1.	676/16	02.02.2015	2011-12	03/आरवैट/2015-16	45,281	18,565	90,562
2.	677/16	02.02.2015	2012-13	04/आरवैट/2015-16	76,933	22,311	1,53,866
3.	676/16	02.02.2015	2013-14	05/आरवैट/2015-16	93,425	15,882	1,86,850
4.	676/16	02.02.2015	2014-15 Upto 30.06.14	06/आरवैट/2015-16	9,095	455	18,190

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए बताया कि जांच अधिकारी द्वारा व्यवसायी फर्म का दिनांक 17.07.2014 सर्वेक्षण करने पर पाया कि व्यवसायी द्वारा होटल में की गई बिक्री पर सेवा कर (Service Tax) के नाम पर राशि वसूल की जाती है, तथा अधिनियम की धारा 2(36) के अन्तर्गत सेवा कर पर वैट की राशि देय होने के बावजूद व्यवसायी द्वारा जारी वैट इनवॉइस में वसूल किये सर्विस टैक्स को विक्रय राशि में सम्मिलित नहीं किया गया। व्यवहारी द्वारा सेवाकर को विक्रय मूल का हिस्सा नहीं मानकर, सेवाकर के क्वांटम पर वैट अदा नहीं किया जाकर देय कर की अवहेलना/वंचना की गयी है, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति विधिसम्मत एवं सही है, जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अविधिक रूप से अपास्त किया है। उन्होंने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने कर व ब्याज के बिन्दु पर प्रकरणों को प्रतिप्रेषित एवं शास्ति के बिन्दु पर कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को अपास्त कर विधिक भूल की है। अतः उन्होंने अपीलीय आदेश को निरस्त करते हुए कर निर्धारण के आदेश को बहाल (Restore) करने का निवेदन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत चारों अपीलों की स्वीकार करने का निवेदन किया है।

6. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि व्यवहारी द्वारा वसूल किया गया सर्विस टैक्स/सर्विस चार्जज विक्रय मूल्य का भाग नहीं है। उन्होंने कथन किया कि सर्विस टैक्स/सर्विस चार्जज अधिनियम के अनुसार



'विक्रय' या विक्रय मूल्य की परिभाषा में नहीं आते है। आगे उन्होंने अपने कथन में कहा कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सर्विस टैक्स की राशि पर करारोपण करके व्यवसायी पर दोहरे कर का आरोपण कर दिया है। उन्होंने कथन किया कि व्यवसायी द्वारा ग्राहकों से लिया गया समस्त कर बिल/इनवॉयस में अंकित है। अतः व्यवसायी द्वारा कोई कर चोरी का कृत्य नहीं किया है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय के श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम तामिलनाडू राज्य के न्यायिक दृष्टान्त (2009) 23 VST 249 SC को उद्धरित करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत चारों अपीलों को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

7. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। व्यवसायी द्वारा आलौच्य अवधियों में की गई फूड एवं ब्रेवरीज की बिक्री पर सर्विस टैक्स कानून के अन्तर्गत ग्राहकों से वसूल की गई सर्विस टैक्स राशि को विक्रय मूल्य में सम्मिलित करते हुए कुल टर्नओवर पर वैट कर राजकोष में जमा कराया जाना बताया है तथा इसी तथ्य का उल्लेख अपीलीय अधिकारी ने किया है कि व्यवसायी ने विभाग में आलौच्य अवधियों की मूल/संशोधित रिटर्न प्रस्तुत कर सर्विस टैक्स की राशि पर भी देय वैट जमा करा दिया है। अतः अपीलीय अधिकारी ने उक्त प्रकरण इस बिन्दु पर प्रतिप्रेषित किये है कि व्यवसायी पर दोहरा करारोपण नहीं किया जावे तथा व्यवसायी ने स्वयं ही संग्रहित सेवा कर (Service tax) की राशि को विक्रय में सम्मिलित करते हुए यदि देय वैट राशि राजकोष में जमा करा दी है तो पुनः करारोपण नहीं किया जावे।

8. इस संबंध में यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि माननीय राजस्थान कर बोर्ड की वृहदपीठ का निर्णय दिनांक 08.06.2018 का अवलोकन किया जाना आवश्यक होगा जिसमें होटल हिल्लोक प्रा.लि., माउंटआबू (सिराही) के प्रकरण में निम्न प्रश्न का निर्णय किया गया है—

Whether the service tax on the supply of foods and drinks will be the part of sale price or not and consequently the vat will be leviable on the value of the food including the service tax or the value of the food excluding the service tax.

माननीय कर बोर्ड की वृहदपीठ के उपरोक्त निर्णय में यह निर्णित किया गया है कि—

"The Service tax as charged for supply of food and beverages shall constitute a part of the sale price and the Value Added Tax (VAT) is leviable on the value of food and beverages including the service tax."

माननीय कर बोर्ड की वृहदपीठ के उपरोक्त निर्णय के अन्त में इस प्रकार अभिमत प्रकट किया है कि—

"We are of the considered view that since the VAT is leviable on whole value the food and beverages as supplied by the assessee and the definition of 'sale price' includes any statutory levy or any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods or services rendered at the time of or before the delivery thereof, except the tax imposed under the RVAT Act, therefore, the service tax as charged for supply of food and beverages, shall be covered under the definition of 'sale price' and resultantly exigible to VAT."

9. इससे स्पष्ट है कि बिक्री मूल्य की परिभाषा में अन्य वैधानिक शुल्क **statutory levy** शामिल होगी अतः व्यवसायी द्वारा जो सर्विस टैक्स वसूल किया गया है उस पर वैट कर

निरन्तर.....4

का दायित्व बनेगा ओर यह सर्विस टैक्स विक्रय मूल्य का भाग होगा। इस प्रकार कर एवं ब्याज के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण को प्रतिप्रेषित करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि व्यवसायी पर दोहरा करारोपण न हो जाये। अतः कर निर्धारण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि रिकॉर्ड की जांच पश्चात् विधिसम्मत आदेश पारित करें।

10. यह रिकॉर्ड से विदित होता है कि व्यवसायी ने जारी विक्रय बिलों में सेवा कर वसूल किया है तथा इस सभी संव्यवहार बहियात/रिकॉर्ड में संधारित किया है। व्यवसायी का यह मानना है कि इस राशि पर कर देय नहीं है। चूंकि कोई संव्यवहार लेखा पुस्तकों में छिपाया नहीं गया है। अतः करापवंचन का दोषी मनोभाव प्रमाणित नहीं होता है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम तामिलनाडू राज्य के न्यायिक दृष्टान्त (2009) 23 VST 249 SC में प्रतिपादित सिद्धान्त के प्रकाश में प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरुद्ध वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति भी विधिसम्मत एवं उचित नहीं है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में अपीलार्थी विभाग द्वारा शास्ति के बिन्दु पर प्रस्तुत अपीलें सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है।

11. फलतः विभाग द्वारा प्रस्तुत चारों अपीलें अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.11.2015 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य